न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/ 11/2021

1—रामवती आयु 48 वर्ष पत्नी श्री मुन्नालाल पुत्री श्री फगुनी जाति जाटव निवासी ग्रांम जघीना हाल निवासी ग्रांम सैमरी जिला आगरा उ0प्र0
2—रामरती आयु 47 वर्ष पत्नी श्री निहाल सिंह पुत्री श्री फगुनी जाति जाटव निवासी ग्रांम जघीना हाल निवासी आगरा उ0प्र0
3—पुन्नो उर्फ भूदेवी पत्नी श्री वीरीसिंह पुत्री श्री फगुनी आयु 60 वर्ष निवासी ग्रांम जघीना हाल निवासी ग्रांम डाबर जिला आगरा उ0प्र0

....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर जिला भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील खिलाफ आदेश बाबत दाखिला खारिज संख्या 642 दिनांक 10.12.2004

उपस्थितः—
1—श्री हरीदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

आदेश दिनांक 13.9.2022

अपीलान्टस ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 10.12.2004 के पेश की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 10.12.2004 जो कि मृतक रमचंदी एवं मृतक फगुनी की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया। अपीलान्टस ने अपीलाधीन आदेश व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पो की तलबी एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो. की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली नामान्तकरण संख्या 642 की सत्यापित प्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्टान के पिता फगुनी व रमचन्द दो भाई थे। दोनों भाई विवादित आराजी में बराबर के हिस्सेदार खातेदार काश्तकार थे। पटवारी हल्का ने मृतक फगुनी का सजरा में अपीलान्ट न.3 का बचपन का नाम पुन्नो लिख दिया है जबकि अपीलान्ट पुन्नो को अब भूदेवी कहते हैं, अतः उसे पुन्नो उर्फ भूदेवी दर्ज किया जावे। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि दाखिल खारिज के कॉलम नं. 9 में अपीलान्टान रामवती, रामरती, पुन्नो की बल्दियत रमचंदी गलत दर्ज कर दी गई है, जब कि फगुनी के सजरा में रामवती, रामरती, पुन्नो बल्दियत फगुनी सही दर्ज है। योग्य अभिभाषक ने पत्रावली में शामिल ग्राम पंचायत का प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तथा प्रार्थना की अपील

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज 642 दिनांक 10.12.2004 के कॉलम न. 9 में रामवती, रामरती, पुन्नो पुत्रियान रमचन्दी के स्थान पर पुत्रिया फगुनी संशोधित किया जावे व पुन्नो के नाम के आगे उर्फ भूदेवी शब्द संशोधित किये जाने की आज्ञा दी जावे।

रेस्पो. की ओर राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 642 मृतक रमचंदी एवं मृतक फगुनी की विरासत का स्वीकार किया गया है, विवादित दाखिल पर दोनों मृतकों के सजरा सही दर्ज हैं, नामान्तकरण के कॉलम न. 9 में रामवती, रामरती, पुन्नो की बल्दियत फगुनी के स्थान पर रमचन्दी गलत दर्ज कर दी गई है, जो सही होनी है। अपीलान्ट का यह कहना कि पुन्नो का घर का नाम है इसे भूदेवी कहते हैं, पुन्नो उर्फ भूदेवी दर्ज किया जाना जांच का विषय है।

हमने पत्रवली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकरान के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 10.12.2004 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 642 मृतक रमचंदी एवं मृतक फगुनी की विरासत का खोला जाकर स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण के कॉलम न0 9 में रामवती, रामरती, पुन्नो की बल्दियत फगुनी के स्थान पर रमचन्दी का गलत अंकन किया गया है, जबकि नामान्तकरण पर अंकित मृतक फगुनी के सजरा में रामवती, रामरती, पुन्नो पुत्रीयॉ फगुनी दर्ज है। अपीलान्ट का यह कहना कि पुन्नो का घर का नाम है इसे भूदेवी कहते हैं, पुन्नो उर्फ भूदेवी दर्ज किया जावे यह जांच का विषय है। अतः प्रकरण को तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना उचित पातें हैं कि वे रामवती, रामरती, पुन्नो की बल्दियत एवं पुन्नो के नाम के बारे में विस्तृत जांच कर अपीलान्टस को सुनवाई एवं साक्ष्य समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 642 दिनांक 10.12.2004 उक्त त्रुटि तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाता है कि वे रामवती, रामरती, पुन्नो की बल्दियत एवं पुन्नो के नाम के बारे में विस्तृत जांच कर अपीलान्टस को साक्ष्य एवं सबूत वगै. का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर